फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री गोपाल दवे निवासी 168/3, शीतल नगर, बाणगंगा इन्दौर मध्यप्रदेश – **अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द – **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 93/2025**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 10.11.2025 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से जरिये पत्र क्रमांकः एफ.1()सू0अ0,05/2025/897 दिनांक 29.10.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अपीलान्ट का आवेदन पत्र दिनांक 13.10.2025 का सूचना के अधिकार अधिनियम,05 के तहत इस कार्यालय को 18.09.2025 को प्राप्त हुआ है आरटीआई आवेदन के बिन्दु संख्या 01 से 02 की जो सूचना अपीलार्थी द्वारा चाही गई उसका प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग से होने से व बिन्दु संख्या 3 की सूचना का संबंध प्रभारी अधिकारी सम्पर्क अनुभाग से होने से इस कार्यालय द्वारा प्रार्थी अपीलार्थी का आरटीआई आवेदन कार्यालय के जरिये पत्रांक 817–818 दिनांक 23.09.2025 से संबंधित कार्यालय को सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। आवेदन में ईप्सित बिन्दु संख्या 01 से 02 की सूचना के संबंध में प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग द्वारा पत्रांक 5558 दिनांक 15.10.2025 सूचनार्थ प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करवा दी गई, व बिन्दु संख्या 3 की सूचना के संबंध में प्रभारी अधिकारी सम्पर्क अनुभाग द्वारा पत्रांक 635 दिनांक 01.10.2025 से उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार सूचना इस कार्यालय उपलब्ध करवा दी गई, इस कार्यालय के पत्रांक 887 दिनांक 24.10.2025 से सूचना के अधिकार अधिनियम 05 की धारा 7(6) के तहत प्रार्थी को 09 पृष्ठीय अधिप्रमाणित सूचना बिना किसी प्रभार के प्रेषित की गई एवं प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग के पत्रांक की प्रति सूचनार्थ हेतु प्रेषित की गई। प्रार्थी आरटीआई आवेदन में बिन्दु संख्या 1 से 3 की सूचना के संबंध में प्रार्थी को उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दु संख्या 1 से 3 की सूचना उपलब्ध करा दी जाने से उक्त अपील को खारिज किया जाता है

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)